

राजस्थान सरकार  
राज्य सेवा विभाग

क्रमांक:- ए.डी/15/राज-8/99/2

जयपुर, दिनांक:- 8-3-2000

-: अधिसूचना :-


राजस्थान नृ-राज्य सेवा अधिनियम, 1956] 1956 वा अधिनियम सं 15] की धारा 200 की उप-धारा 1] के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार राजस्थान अधिनियम की धारा 90-अ, जैसे कि राजस्थान अधिनियम सं 15] अधिनियम सं 1999 वा अधिनियम सं 21] के द्वारा अन्तः स्थापित की गई है, के प्रोविसार्स प्री सिरेराच अन्वयत, स्थापक आनुष्ठ, जून 8-1] [आजकी] को दिनांक 12-1-2000 से जून 8-1] के उपरान्त कम प्राधिकृत अधिकारों के अभाव में के अन्तर्गत अधिकारों का पर्यन्त Exinction] एवं पुनर् प्राप्ति का पुनर् प्राप्ति Resumption] करने हेतु प्राधिकृत अधिकारों की अंतर्गत प्रदत्त करती है।

राजस्थान के आदेश है,

श्री राजस्थान सरकार  
राज्य सेवा विभाग

प्राधिकृत निम्नलिखित प्रोविसार्स एवं आदेशों कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी शिक्षा, राजस्थान सेवा/पुरा सेवा/राजस्थान सेवा ।
- 2- लोकगीत आनुष्ठ, जयपुर ।
- 3- आनुष्ठ, जयपुर विभाग प्राधिकरण, जयपुर ।
- 4- प्रमुख आदेश सेवा, जयपुर विभाग एवं आयातक विभाग ।
- 5- शिक्षा फौजदार, जयपुर ।
- 6- निवृत्त, राजस्थान सेवा, जयपुर ।
- 7- निवृत्त, राजस्थान सेवा जयपुर विभाग, जयपुर की राजस्थान वि.  
8-3-2000 के प्रोविसार्स ।
- 8- "राजस्थान" राजस्थान सेवा, जयपुर ।
- 9- निवृत्त, राजस्थान सेवा निवृत्त, जयपुर ।
- 10- निवृत्त, राजस्थान सेवा निवृत्त, जयपुर ।
- 11- राजस्थान सेवा निवृत्त, राजस्थान सेवा निवृत्त, जयपुर ।
- 12- राजस्थान सेवा निवृत्त ।

  
राजस्थान सरकार